8(घ)-2

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आषाढ़ 1946 (श0)

(सं0 पटना 555) पटना, बुधवार, 26 जून 2024

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

26 जून 2024

सं० 09/नि0–19–01/2023–9938/सा0प्र0—भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**–
   (1) यह नियमावली," **बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024"** कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार राज्य सरकार के सचिवालय विभागों, संलग्न कार्यालयों एवं विभिन्न स्तर के मुफस्सिल कार्यालयों तक रहेगा।
   (3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।
2. **"बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005" के नियम–8 के उप नियम–(1) का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–8 के उप नियम–(1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

   "नियुक्ति के बाद 01 वर्ष तक परिवीक्षा अवधि रहेगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

   परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने एवं सम्पुष्टि के लिए अवधारित जाँच में उत्तीर्ण होने पर ही परिवीक्षाधीन वाहन चालक को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजुला प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।

26 जून 2024

सं० 9/नि0–9–01/2023, सा0 प्र0–9939/अधिसूचना संख्या–9938/दिनांक 26 जून, 2024 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजुला प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।

The 26th June 2024

No. 09/Ni-19-01/2023-**9938**/GAD.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Drivers (Appoinment & Service Condition) Rules, 2005''-

1. ***Short title, extent and commencement.—***
   (1) These Rules may be called as the "Bihar Drivers (Appointment & Service Conditions) (Amendment) Rules, 2024."
   (2) It shall extend to the Secretariat Departments, attached offices and Mufassil offices at different levels of the State Government.
   (3) It shall come into force at once.
2. ***Substitution of sub rule (1) of Rule-8 of Bihar Drivers (Appointment & Service Conditions) Rules, 2005*** :-The sub Rule (1) of Rule-8 of the aforesaid rules shall be substituted by the following-

   "There shall be probation period of one year after appointment. The probation period shall be extended for one more year if the services in probation period will not be found satisfactory. The service shall be terminated, if the services will not be found satisfactory even in extended probation period.

   The service of probationer driver shall be confirmed after successful completion of the probation period as well as passing of prescribed test for confirmation."

By the order of Governor of Bihar,
ANJULA PRASAD,
Additional Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 555-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in